संख्या-02 /2020/314/46-2-20-302(2)/2019

प्रेषक,

पवन कुमार गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि.,
लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 06 फरवरी, 2020

विषय- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिलों द्वारा उ.प्र. सहकारी बैंक/जिला सहकारी बैंकों से उपलब्ध कराई जाने वाली नकद साख सीमा की सुविधा के लिए दी गई शासकीय गारण्टी पर देय गारण्टी शुल्क को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-2280 यू.पी.एफ./लेखा(प्र.प्र.)/जी.87/2019-20, दिनांक 25.11.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 05.02.2020 में दिए गए अनुमोदन के क्रम में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की 23 चीनी मिलों के लिए पेराई सत्र 2019-20 हेतु दी गई शासकीय गारण्टी रू.3221.63 करोड पर देय गारण्टी शुल्क रू.8.05 करोड को माफ किया जाता है।

3- इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-13/2019/1908/46-2-19-302(2)/19, दिनांक 12.09.2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

कृपया उक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पवन कुमार गंगवार)
विशेष सचिव।

संख्या-02/2020/314(1)/46-2-2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक (अग्रणी बैंक) 2-महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ।
2- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- वित्त (व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बच्चू लाल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in